

एन. सी. एल. द्वारा एक्स्क्लूसिव ई-ऑक्सन २०१६-१७ फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) -फेज -I (अगस्त २०१६ एवं अक्टूबर २०१६ के लिये) के माध्यम से कोयले की बिक्री की सूचना

**NOTIFICATION FOR SALE OF COAL BY NCL THROUGH EXCLUSIVE e-AUCTION FOR 2016-17 FOR NON POWER CONSUMERS (INCLUDING CPPs) PHASE-I (For Aug' 2016 to Oct' 2016)**

NCL/SGR/Sales/16-17/११७

Dated: 08.08.2016

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरावली, म. प्र. एक्स्क्लूसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) २०१५-१६ एवं एक्स्क्लूसिव ई-ऑक्सन २०१६-१७ फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) फेज -I- (अधिसूचना दिनांक ०४.०८.२०१६) सी.आइ.एल./ एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के माध्यम से "कोयले" की बिक्री का प्रस्ताव पेश करती है, जिसमें भारत में स्थित सभी गैर विद्युत उपभोक्ता (viz. Proprietor/partnership, firms registered in India, companies incorporated in India etc.) भाग ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरीये कोयला प्राप्त कर सकता है! बुक किये गये कोयले को किसी भी स्थिति में हस्तांतरित या पुनर्विक्रय नहीं किया जा सकता है!

Northern Coalfields Limited, Singrauli MP proposes to sell coal through Exclusive e-Auction Scheme for Non Power Consumers (Scheme Notified for FY 2015-16) and Exclusive e-auction for 2016-17 for Non-Power Consumers(including CPPs) Phase-I, dt 04.08.2016 are available at websites of CIL/NCL and Service Provider i.e. [www.coaljunction.in](http://www.coaljunction.in) wherein 'All Non Power consumers located in India (viz. Proprietor/partnership, firms registered in India, companies incorporated in India etc.), desiring supply over a long period can participate for procurement of coal for own consumption only, and not for transfer or re-sale.

ऑक्सन में दिये जा रहे कोयले के रिजर्व मूल्य का निर्धारण निम्नवत होगा -

अ. रिजर्व मूल्य नॉन-पावर सेक्टर के निर्धारित मूल्य से १०% उपर होगा!

Reserve Price of coal shall be as under:

a. The reserve price shall be 10% over the notified price applicable for the Non Power Sector.

**एक्स्क्लूसिव ई-ऑक्सन २०१६-१७ फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) -फेज -I का विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है-**

**The schedule for sale of coal through electronic bidding through Exclusive e- Auction for 2016-17 for Non Power Consumers (including CPPs) from NCL mines is as under:**

दिनांक व समय Date & Time	स्रोत Source	मात्रा (मी.टन.) Quantity (MT)/ रेक संख्या No. of Rakes	ग्रेड/जीसीवी/साइज Grade/GCV/Size	मूल्य (रु./ मि.टन.) Price (Rs/Te)		माध्यम Mode	सेवाप्रदायकर्ता Auctioneering Agency
				Notified Price	Reserve Price		
१९.०८.२०१६  19.08.16, (Timing will be announced by Service Provider)	जयंत (ईस्ट स्टॉक यार्ड) Jayant (East Stock Yard)	60,000	G-10/4301-4600/ (-100mm)	1180/-	1298/-	सड़क Road/ सड़क सह रेल Road cum Rail	एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड mJunction Services Ltd.
	बीना Bina	1,14,000	G-10/4301-4600/ Crushed ROM	1180/-	1298/-		
	जयंत (स्पर -१ व्हाफ़रल साईडिंग) Jayant (Spur-I Wharfwall Siding)	38 Rakes @3894 MT per rake	G-10/4301-4600/ (-100mm)	1180/-	1298/-	रेल Rail	
	जयंत (दुधिचुआ व्हाफ़र वाल) Jayant (Dudhichua Wharfwall)	23 Rakes @3894 MT per rake	G-10/4301-4600/ (-100mm)	1180/-	1298/-		

सड़क माध्यम से खरीदे गये कोयले के मूल्य का समयानुसार भुगतान करने के पश्चात कोयले को उठाने की वैधता उक्त माह से अगले ६ माह तक होगी तथा आखिरी माह की नियत मात्रा के उठाव लिए वैधता माह से अगले ६ माह के उपरांत ४५ दिन रहेगी। रेल माध्यम से रेक अलाटमेंट लेने की वैधता माह की किश्त जमा करने के अंतिम दिन से ३० दिन तक रहेगी जबकि सप्लाय रेलवे के नियमों के अनुसार होगी। प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिये कृपया स्क्रीम पढ़ें!

Validity period of all road borne lifting shall be till the end of 6 months for lifting of coal against booking of each month. The validity period for lifting of coal shall be 45 days more than the period of 6 months for payment against the last month of the 6 months period, provided the coal value is paid against the Bid Quantity in due time. However in case of supply by Rail Mode validity for taking allotment will be within 30 days of the last date of paying instalments of coal value for the month. The supply, however, will be made as per extant Railway rules.

**Pre-requisite conditions for participation in Exclusive e-Auction are as follows:**

एक्स्क्लूसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) २०१५-१६ एवं एक्स्क्लूसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) फेज-I २०१६-१७ (अधिसूचना दिनांक ०४.०८.२०१६) सी.आइ.एल./ एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है)

एक्स्क्लूसिव ई-ऑक्सन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये शर्तें/ योग्यताये निम्नवत है:-





1. **पंजीयन/Registration:**

उपभोक्ता को एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पॉवर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) में भाग लेने के लिये स्वयं को सेवा प्रदायकर्ता जो कि सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड है से पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पॉवर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) २०१५-१६ के खंड २ के अनुसार है। **उपभोक्ता पंजीकरण श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड के साथ १८.०८.२०१६ (१२ बजे) तक करवा सकते हैं।** अधिक जानकारी के लिये कृपया श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट [www.coaljunction.in](http://www.coaljunction.in) पर जायें।

जो सी.पी.पी. सेवा प्रदायकर्ता को स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर २०१६-१७ फेस -II के लिये **EMD** जमा करवा चुके हैं और एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पॉवर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) फेस -I में भाग लेने के इच्छुक हैं वे सेवा प्रदायकर्ता को आवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराए कि वे एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पॉवर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) फेस -I में भाग लेने चाहते हैं। अगर वो चाहे तो सेवा प्रदायकर्ता के यहाँ नया पंजीकरण भी करवा सकते हैं।

Consumers can participate in Exclusive e-Auction by registering themselves with the respective Auctioneering Agency i.e. M/s mJunction Services Limited as per **Clause no. 2 of Exclusive Auction Scheme for non-power consumers (including CPP) 2015-16. Eligible buyers may register themselves with Service Provider till 18.08.2016 (till 12 noon).** For more details kindly log on to website of Service Provider i.e. [www.coaljunction.in](http://www.coaljunction.in).

**EMD of prospective bidders under CPP category, already submitted, to the respective service provider for participating in Special Forward e-Auction for Power Producers for 2016-17 Phase II, may get transferred to Exclusive e-Auction 16-17 Phase-I,** such CPPs would be required to submit an application to the service provider stating that they are interested in participating in Exclusive auction 2016-17 phase I using their existing registration. However, their existing registration can be used, subject to fulfillment of the registration requirements is mandatorily required under the Exclusive e-auction Scheme. Such CPPs would also have option of registering afresh with the service provider under Exclusive e-auction scheme Bidders who have already registered for participating in the Exclusive E-auction 2015-16 shall be eligible to participate in Exclusive E-Auction 2016-17 subject to deposition of required EMD.

2. प्रभावी कर तथा अन्य टैक्स, रिजर्व मूल्य के अतिरिक्त देय होगा।

Reserve prices are excluding levies and statutory charges as applicable.

3. EMD की राशी ऑक्सन के पूर्व सेवा प्रदायकर्ता के पास जमा करना होगा। EMD की राशी विक्रय के लिये दिये गये कोयले के रिजर्व मूल्य के १०% के बराबर होगा

All interested registered consumers shall be required to deposit in advance non-interest bearing EMD with respective Service Provider for such an amount as would cover 10% of the reserve price (of e-Auction concerned) for intended bid quantity in terms of basic price of coal.

4. एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन स्कीम में न्यूनतम बिड मात्रा सड़क के माध्यम से १०५० टन एवं रेल के लिए एक पूर्ण रैक हैं।

Minimum Bid quantity shall be 1050 MT for Road Mode and one rake for Rail Mode.

5. **कोयले के मूल्य का भुगतान/Deposition of Coal Value:**

सफल बोलीकर्ता कोयले के मूल्य का भुगतान निम्नलिखित किसी एक एन.सी.एल. सी.एस.आर. खाते में आर.टी.जी.एस./ड.सी.एस./डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से करेगा।

Successful Bidders shall deposit Coal value in any of the following NCL CSR accounts through Draft/RTGS/ECS/Banker's Cheque at the office of General Manager (S&M), NCL Singrauli at the following banks.

क्रमांक S.No.	बैंकनाम Name of the Bank	शाखा Branch	आई.ए. फ.एस. कोड IFS code	खातासंख्या Account No.
1	भारतीयस्टेटबैंक State Bank of India	मोरवा Morwa	SBIN0003767	10773219417
2	इलाहाबादबैंक Allahabad Bank	मोरवा Morwa	ALLA0210254	50066405613
3	यूनियनबैंकऑफइंडिया Union Bank of India	मोरवा Morwa	UBIN0539171	391701010129658
4	एक्सिस बैंक Axis Bank	मोरवा Morwa	UTIB0001725	915020064361678

6. प्रत्येक सफल बोली के लिये फाईनेन्सियल कवरेज की राशी महाप्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन) एन.सी.एल. सिंगरौली के कार्यालय में ऑक्सन तिथि के बाद से उपलब्ध रहेगी।

**All the prospective buyers may please note that the value of Financial coverage for each successful bid will be available at office of General Manager(S&M), NCL, Singrauli after e-auction.**

7. उपभोक्ता ऑक्सन तिथि से ७ दिनों के अंदर अपने द्वारा बुक की गयी कोयले की मात्रा का माहवार विभाजन (अगस्त २०१६ से अक्टूबर २०१७ तक) कोल कम्पनी को जमा करेगा। उपभोक्ता अपने अनुसार माह में आवंटित की गयी कोयले की मात्रा का भुगतान २ किस्तों में कर सकता है। उपभोक्ता को पहली किस्त का भुगतान हर माह के पहले १० कार्य दिवस के अंदर करना होगा और दूसरी किस्त का भुगतान उक्त माह के अंतिम कार्य दिवस तक करना होगा। कोयले की मात्रा का माहवार (अगस्त २०१६ से अक्टूबर २०१७ तक) विभाजन कोल कम्पनी एवं उपभोक्ता के पारस्परिक निर्णय से होगा।

(विगत कुछ ई-ऑक्सन के दौरान विफल हुये लेन-देन को ध्यान में रखते हुये एन.सी.एल. अपने ग्राहकों से निवेदन करता है कि ग्राहक अपने बैंक से लेन-देन के पश्चात लेन-देन की सफलता की जानकारी अवश्य लें। एन.सी.एल. किसी भी प्रकार से गलत या विफल लेन-देन का जिम्मेदार नहीं होगा।)

**Time for depositing the Coal Value:** Bidders after successful bidding will give a declaration to respective coal company for distributing the aggregated quantity between Aug' 2016 – Oct' 2017 (3 months) within 7 days from date of auction. Payment of Coal value is to be made on monthly basis in two instalments as per bidder's choice. The first instalment shall be deposited **within 10 working days from the starting of the month** and the second instalment by **the end of that particular month.**

(In view of the frequent transaction failure during last few e-auctions, customers are requested to confirm remittance of coal value with their respective banks. NCL will not be responsible for any wrong/failed transaction.)





(8) नोट: ई-ऑक्सन में भाग लेने से पहले बोलीकर्ता निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें-

Note: Before taking part in NCL's e-Auction, Bidders are to note that,

- (अ) बोलीकर्ता एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) २०१५-१६ एवं एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) २०१६-१७ फेस- १ (अधिसूचना दिनांक ०४.०८.२०१६) के सभी नियम एवं शर्तों से बाध्य होगा।  
Bidder has to abide by all terms and conditions of Exclusive Scheme 2015-16 and Exclusive e-Auction Scheme for Non Power Consumers (including CPPs) for 2016-17 Phase-I dt 04.08.2016.
- (आ) बोलीकर्ता बोली लगाने से पूर्व स्वयं को ई-ऑक्सन में दिये जा रहे कोयले की गुणवत्ता से संतुष्ट कर ले।  
Before participating in e-Auction, Bidder must satisfy themselves with the quality and grade of coal being offered from a source.
- (इ) किसी भी क्रेता को ज्वइंट / थर्ड पार्टी सैम्पलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कि जायेगी।  
There will be no Joint/Third party sampling facility extended to any buyer.
- (ई) इस नोटिस के विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के संशय होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।  
English version will be valid in case of any confusion in this notice.

एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) २०१५-१६ एवं एक्स्क्लुसिव ई-ऑक्सन फॉर नॉन पावर कंज्युमर (सी. पी. पी. समेत) २०१६-१७ फेस- १ (अधिसूचना दिनांक ०४.०८.२०१६) सी.आइ.एल./एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Apart from the above, bidders are governed by all other terms & conditions of CIL/NCL's Exclusive e-Auction Scheme-2015 and Exclusive e-Auction for 2016-17 for Non Power Consumers (Including CPPs) Phase-I dt 04.08.2016. The same is available in NCL's & Service Provider's website i.e. [www.ncl.gov.in](http://www.ncl.gov.in) & [www.coaljunction.in](http://www.coaljunction.in).

अन्य किसी जानकारी के लिये कृपया सेवा प्रदायकर्ता से सम्पर्क करें.

For any further clarification, please contact Auctioneering Agency:

सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेज लिमिटेड

M/s mJunction Services Limited: फोननं/Phone No. 033 22882606, फैक्सनं /Fax No. 033-22883536

ई-मेल /E Mail address: [contactus@metaljunction.com](mailto:contactus@metaljunction.com)

पता/Postal address:

सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेज लिमिटेड, गोदरेज वाटर साइड, तीसरा तल, टॉवर 1, प्लॉट V, ब्लॉक DP, सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकता - 700091, पश्चिम बंगाल.  
M/s mjunction Services Limited, Godrej Water Side, 3<sup>rd</sup> Floor, Tower 1, Plot V, Block DP, Sector V, Salt Lake, Kolkata-700091, West Bengal.

ई-ऑक्सन का विवरण सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेज लिमिटेड व एन. सी. एल. की वेबसाइट [www.coaljunction.in](http://www.coaljunction.in) व [www.ncl.gov.in](http://www.ncl.gov.in) पर उपलब्ध है.

Details of e-Auction are displayed on website of Auctioneering Agency, M/s mJunction Services Limited's Website [www.coaljunction.in](http://www.coaljunction.in) Details are also displayed on NCL website - [www.ncl.gov.in](http://www.ncl.gov.in)

एन.सी.एल. प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये किसी भी समय ई-ऑक्सन स्कीम या इसके किसी नियम या शर्त जिसमें प्रस्तावित ऑक्सन के कोयले की मात्रा भी है को समाप्त या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

**NCL management reserves the right to withdraw e-auction scheme or change/amend any of the terms and conditions including the quantity offered, without assigning any reason thereof.**

महाप्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन)  
General Manager(S&M)  
एन.सी.एल. सिंगरौली  
NCL, Singrauli

